>

Title: Need to enhance the proposed central assistance to Gujarat in view of severe drought conditions prevailing in the State.

डॉ. किरीट पेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका अभिनन्दन करता हूं। इस साल वर्षा में बहुत एक्सट्रीमिज्म है। कई राज्यों में बहुत भारी वर्षा हुई है, उसने तबाही मचा दी है और कई राज्यों में सूखा पड़ा है। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात में वर्षा बहुत कम हुयी है और गुजरात में अभी सूखे की स्थिति है। गुजरात में 15 फीसदी से लेकर 5 फीसदी तक अभी तक बारिश हुयी है। वहां के लोग, खासकर किसान और सभी लोग इस वजह से बहुत त्रस्त और परेशान हैं।

केंद्र सरकार के मंत्री जी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात का दौरा किया था और इसकी समीक्षा की थी और गुजरात को 450 करोड़ रूपए पेयजल के लिए आबंटित किया, इसके लिए मैं मंत्री जी और सरकार का अभिनंदन करता हूं। इस सूखे की परिस्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 14,673 करोड़ रूपए का आकलन किया है। मेरे ख्याल से केंद्र सरकार ने जो राशि दी है वह बहुत कम है। गुजरात सरकार ने अकाल से निपटने के लिए जो बिजली का प्रबंधन है, उसके घंटे को बढ़ा दिया है। इरीगेशन के लिए नर्मदा के पानी के स्रोत को भी बढ़ा दिया है, इसलिए मैं गुजरात सरकार का अभिनंदन करता हूं। गुजरात सरकार ने जो मांग उठायी है, केंद्र सरकार उसमें ज्यादा राशि का प्रबंधन करे और केंद्र के राज्य आपदा राहत कोष तथा प्राकृतिक आपदा कोष संबंधी केंद्रीय सहायता मानदंडों और तत्काल अकाल राहत प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है। केंद्रीय मंजूरी के अभाव में नर्मदा का पानी बेकार समुद्र में बहा जा रहा है। आपके माध्यम से मेरी मांग है कि सरदार सरोवर परियोजना को जल्द से जल्द मंजूर किया जाए। अकाल राहत में केन्द्रीय प्रावधान और स्थानीय जरूरत पर खर्च का अधिकार राज्यों को दिया जाए और एसडीआरएफ की तीस फीसदी राशि के विवेकाधीन खर्च का अधिकार भी राज्यों को मिले।

सभापति महोदय : डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी के द्वारा शून्य प्रहर में उठाए गए विषय के साथ

श्री अर्जुन मेघवाल अपने-आप को संबद्ध करते हैं।